श्रीमती वसुन्धरा राजे,

माननीया मुख्यमंत्री,

राजस्थान सरकार।

विषय– 2 अप्रेल 2018 को अनुसूचित जाति व जनजाति द्वारा आयोजित 'भारत बन्द' में दायर झूँठे मुकदमें वापस लेने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनुसूचित जाति (SC) जनजाति (ST) अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिऐ गऐ निर्णय के विरोध में **2** अप्रेल 2018 को अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग द्वारा शान्ति पूर्वक 'भारत बन्द' किया गया था।

आप इस तथ्य से भली–भॉति विदित हैं कि अनु.जाति जन जाति वर्ग पर सदियों से अत्याचार हो रहें हैं, सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ग को सदैव निचले पायदान पर हासिऐ पर रखा गया है। भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त संविधान में प्रदत्त सुरक्षा के बाद भी इन वर्गो पर उत्पीडन ओर अत्याचार बन्द नही हुए तो भारत सरकार **द्वारा** "अनुसूचित जाति (SC) जनजाति (ST) अत्याचार निवारण अधिनियम 1989" बनाया गया। अत्याचार व उत्पीडन की बढती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया था ताकि इन वर्गो पर बढते अत्याचारों को रोका जा सके।

किन्तु दिनांक 20 मार्च 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में इन प्रावधानों को बदल कर अधिनियम को निष्प्रभावी बना दिया गया जिसके कारण अनु. जाति, जनजाति वर्ग में भारी आक्रोश था जिसे लेकर इस वर्ग ने बिना किसी राजनैतिक दलों के नेतृत्व के बिना भारत बन्द का आहवान किया था।

महोदया, आप इस तथ्य से भली–भांति परिचित है कि अनु.जाति , जन जाति वर्ग सदैव कानून की पालना करने वाला व शान्ति प्रिय रहा है और इसी भावना को लेकर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु 2 अप्रेल को शांतिपूर्ण 'भारत बन्द' का आयोजन रखा गया था, सम्पूर्ण भारत में आन्दोलन शान्ति पूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ स्थानों पर अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा द्वेषता के कारण इस वर्ग को बदनाम करने के लिए तोड फोड की गई व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहूँचाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा आनन–फानन में अनु.जाति, जन जाति के युवाओं को पकड कर जेल में बन्द कर दिया तथा उन पर झूँठे मुकदमें दर्ज कर दिए गऐ। इसको लेकर अनु. जाति जन जाति वर्ग में भारी असंतोष व आक्रोश है तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनु.जाति जन जाति आरक्षण मंच मांग करता है कि–

1. देश में समरसता कायम रहे इस हेतु गिरफतार निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाऐ तथा उनके विरूद्व दर्ज झूँठे मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाऐ।

2. 'भारत बन्द' में शामिल या अपने राजकीय कार्यालयों से इस हेतु अवकाश पर रहने वाले अनु. जाति जन जाति के कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्व कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा द्वेषतावश

अनुशासनिक कार्यवाही, एपीओ व स्थानान्तरण किऐ जा रहे है उसे रोका जाऐ तथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाऐ।

3. अलवर में पुलिस फायरिंग में मारे गऐ पवन जाटव के अभिभावकों को 50 लाख का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में नियुक्ति दी जावे।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने हेतु भारत सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर अधिनियम के सभी प्रावधानों को पूर्वानुसार लागू कराया जाऐ, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाऐ।

हमें आशा है कि आप देश व राज्य में समरसता व शान्ति बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही कर अनुग्रहित करेंगी।

भवदीय

(जे.पी.विमल)

आई ए एस (रि.)

अध्यक्ष